[1]प्ररूप सं. 28

[नियम 38 *देखिये*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 210 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन अग्रिम कर के संदाय के लिए धारा 156 के अधीन मांग की सूचना

सेवा में,

.....
.....
.....

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 210 के अधीन आपको यह सूचना दी जाती है कि संलग्न आदेश में यथाविनिर्दिष्ट .....रु. की राशि वित्तीय वर्ष ..... के दौरान आपके द्वारा संदेय अवधारित की गई है।

2. यह रकम सारणी में यथा उल्लिखित दो किस्तों में संदेय है :–

सारणी

किस्त की देय तारीख	*संदेय रकम*
15 दिसंबर को या उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के पचास प्रतिशत* से अन्यून रकम
15 मार्च को या उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर की, पूर्व किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों को, यदि कोई हो, घटाकर आई सम्पूर्ण रकम

यह रकम, ... स्थित प्रबंधक, प्राधिकृत बैंक / प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया / भारतीय रिजर्व बैंक को संदेय है।

जब, यदि रकम संदत्त कर दी जाती है तो आपको एक रसीद ..... दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए चालान संलग्न है/हैं, जिसमें आपको संदाय के समय प्रत्येक किस्त की रकम प्रविष्ट करनी चाहिए।

3. यदि पूर्वोक्तानुसार पहली किस्त के देय होने के पूर्व किसी समय आपका यह प्राक्कलन है कि अप्रैल, ... के पहले दिन को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अग्रिम कर के अधीन की आपकी आय, उस आय से कम है, जिसके संबंध में आपको उपरोक्तानुसार अग्रिम कर का संदाय करने के लिए कहा गया है और तदनुसार आप उस रकम से, जिसके संदाय के लिए आपसे इस प्रकार अपेक्षा की गई है, कम रकम का संदाय करना चाहते हैं तो आप आपके द्वारा किए गए कम प्राक्कलन के कारणों को प्ररूप 28क में निर्धारण अधिकारी को भेज सकते हैं और धारा 209 में अधिकथित रीति में परिकलित उस आय पर इस प्रकार संदेय अग्रिम कर का प्राक्कलन भी संलग्न कर सकते हैं तथा उस दशा में आपको ऐसी रकम का (इस सूचना के पैरा 2 के अनुसार पहले ही संदत्त किसी किस्त को घटा कर) संदाय अपने प्राक्कलन के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट तारीखों को ऐसे अनुपातों में करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए आपको अपने प्राक्कलन के अनुसार संदेय रकम को समुचित चालान में प्रविष्ट करना चाहिए। अंतिम किस्त के देय होने से पूर्व किसी भी समय आप संदेय रकम को पुनरीक्षित कर सकते हैं और पहले से संदाय कर दी गई किस्तों की बाबत किसी आधिक्य या कमी को पश्चात्वर्ती किस्त में समायोजित कर सकते हैं।

4. यदि आपके प्राक्कलन में, आपकी वर्तमान आय पर संदेय अग्रिम कर, धारा 210 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन निर्धारण अधिकारी के आदेश में विनिर्दिष्ट या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन आपके द्वारा सूचित किए गए अनुसार अग्रिम कर की रकम से अधिक हो जाता है तो आप धारा 211 में विनिर्दिष्ट अंतिम किस्त की देय तारीख को या उससे पूर्व, अपने प्राक्कलन के अनुसार अग्रिम कर की ऐसी अधिक रकम का उपयुक्त भाग या ऐसी उच्चतर रकम के संपूर्ण भाग का संदाय करेंगे।

5. यदि आप धारा 208 के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी हैं और ऐसा कर संदाय करने में असफल रहे हैं या धारा 210 के उपबंधों के अधीन आप द्वारा संदत्त किया गया अग्रिम कर, निर्धारित किए गए कर के 90% से कम है तो आप धारा 234ख के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होंगे। यदि आप अग्रिम कर की किस्तों का विनिर्दिष्ट तारीखों तक संदाय करने में असफल रहते हैं तो, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234ग के अनुसार ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

स्थान : ....

तारीख : ..... *निर्धारण अधिकारी*

.....

पता

प्ररूप सं. 28 का संलग्नक

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 210 के अधीन आदेश

निर्धारिती का नाम ..... जिला या क्षेत्र .....

प्रास्थिति* ..... स्थायी खाता संख्यांक .....

पता ....

1.	कुल आय, जिसके आधार पर किसी पश्चातवर्ती वर्ष के लिए, जो ....वर्ष का है, नियमित निर्धारण किया गया है। आय की विवरणी आपके द्वारा फाइल की गई है।	........................रु.
2.	अग्रिम कर के अधीन आय	........................रु.
3.	अग्रिम कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाने वाली शुद्ध कृषि आय, यदि कोई हो।	........................रु.
4.	'अग्रिम कर के अधीन आय' पर प्रभार्य सकल आय-कर	........................रु.
5.	'अग्रिम कर के अधीन आय' में सम्मिलित राशियां, जिनके संबंध में आय-कर संदेय नहीं है या जिन पर आय-कर रिबेट अनुज्ञेय है–	
	(*i*) व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या अरजिस्ट्रीकृत फर्म की आय का अंश, जिसके लाभों पर कर पहले ही संदत्त किया जा चुका है;	........................रु.
	(*ii*) आयकर से मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज;	........................रु.
	(*iii*) अन्य मदें	........................रु.
6.	कुल रकम, जिस पर कर संदेय नहीं है और ऐसी रकम पर आनुपातिक कर	........................रु.
7.	कटौती : कर, जो धारा 192 से 195 के अधीन किसी आय पर (अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं कटौतियों को अनुज्ञात करने से पहले यथा संगणित) कटौतीयोग्य है और जिसे 'अग्रिम कर के अधीन आय' की संगणना करने में हिसाब में लिया गया है।	........................रु.
8.	आय-कर की शुद्ध रकम	........................रु.
9.	घटाएं : प्राक्कलित दोहरी आय-कर राहत, यदि कोई हो, के मद्दे रकम	........................रु.
10.	संदेय अतिशेष	........................रु.
11.	घटाएं : .... को तामील की गई पूर्ववर्ती मांग-सूचना के अनुपालन में धारा 210 के अधीन वित्तीय वर्ष में पहले से संदत्त कर	........................रु.
	संदेय कर की शुद्ध रकम........................	
12.	संदेय कुल राशि (अंकों और शब्दों में)	
	........................रु.	........................रु.

....

तारीख : ....

निर्धारण अधिकारी

***टिप्पण :** हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में कृपया बताएं कि क्या हिन्दू अविभक्त का कम से कम एक ऐसा सदस्य है, जिसकी सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय उसके मामले में आय-कर से अप्रभार्य अधिकतम रकम से अधिक है।